वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 06.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, परफेक्ट मिशन, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश "समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 06.07.2024

वीडीए ने डूब क्षेत्र में सीत किए 22 अवैध निर्माण

उपाध्यक्ष ने गंगा किनारे सामने घाट, मारुति नगर व सचिव ने वरुणा और रिंग रोड पर की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : गंगा और वरुणा नदी के निचले इलाके (डूब क्षेत्र) में अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। 22 अवैध निर्माण सील करने के साथ 15 बीघा अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर गरजा। वहीं जमीन की प्लाटिंग करने वाले के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उधर, वीडीए सचिव ने भाजपा नेता लक्ष्मी नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व हास्पिटल और रिंग रोड दांदुपुर में फंटेशिया वाटर पार्क व रिजार्ट के अवैध हिस्से सील करवाने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया।

अवैध निर्माण में संलिप्त होने पर वीडीए उपाध्यक्ष ने एक सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया। वहीं, सचिव ने एक सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित करने की संस्तुति की है। दोनों स्थानों पर जोनल और अवर अभियंता को अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

दैनिक जागरण ने पांच जुलाई के अंक में आ गई बारिश, चिह्नित नहीं हो सके अवैध निर्माण खबर लिखकर सवाल उठाया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग जोन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए खुद क्षेत्र में निकल पड़े। सामने घाट, मारुति नगर, गायत्री नगर में अवैध निर्माण और प्लाटिंग देखकर हैरान रह गए। मौके पर छह घंटे खड़े रहकर एक-एक कर 15 अवैध निर्माण सील कराने के साथ 15 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलवाया। लापरवाही मिलने पर नगवां वार्ड के सुपरवाइजर राजेंद्र प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि कालोनाइजर गिरधारी पटेल के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उधर, वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा वरुणा नदी के किनारे और रिंग रोड पर अवैध निर्माण देख स्तब्ध रह गए। पूछने पर जोनल अधिकारी, अवर अभियंता और कर्मचारी कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए एक-एककर अवैध निर्माण सील कराना शुरू कर दिया।

भाजपा नेता डा. अशोक राय का लक्ष्मी नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व हास्पिटल, फंटेशिया वाटर पार्क व रिजार्ट चार मंजिल अवैध हिस्सा सील करा दिया। यहां कर्मचारियों ने विरोध करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस के आगे नहीं चली। भोजूबीर से सिंधोरा मार्ग पर जयप्रकाश जायसवाल तीन मंजिल, दांदुपुर में मैरिज लान, लालपुर ऐढ़े में वेद पांडेय का दो मंजिल व्यवसायिक, बाबतपुर मार्ग पर दिलीप सिंह व इंद्रदेव सिंह का दो मंजिल व्यवसायिक, काजीसराय में राजेश विश्वकर्मा दो मंजिल व्यवसायिक भवन को सील करवा दिया।

वहीं, छोटे-छोटे 25 से अधिक भवन स्वामियों को अवैध निर्माण नहीं करने की उन्होंने चेतावनी दी। सुपरवाइजर श्याम नारायण सिंह व रविंद्र गौड़ को निलंबित करने की संस्तुति की है।

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कराते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग • जागरण

फंटेशिया वाटर पार्क व रिजार्ट सील कराते वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा • जागरण

- भाजपा नेता का नर्सिंग कालेज और फंटेशिया वाटर पार्क का अवैध हिस्सा सील
- 15 बीघा अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर, कालोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
- एक कर्मचारी निलंबित, दो के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति जोनल व जेई से मांगा स्पष्टीकरण

दैनिक जागरण में 5 जुलाई को प्रकाशित खबर • जागरण

मारुति नगर में अवैध निर्माण को सील करती वीडीए की टीम • जागरण

कार्यप्रणाली पर मंडलायुक्त ने उठाए थे सवाल

वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में गुरुवार को मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने सामने घाट और मारुति नगर में डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सवाल उठाया था। वीडीए उपाध्यक्ष को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाया था।

हिन्दुस्तान–दि0 06.07.2024

21 निर्माण सील, एक सस्पेंड, कई को नोटिस

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने शुक्रवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान हरहुआ में एक प्रभावशाली नेता के नर्सिंग इंस्टीट्यूट और दांदूपुर में फंटेशिया वॉटर पार्क में चार मंजिला वॉटर स्लाइड टॉवर समेत 21 अवैध निर्माण सील कर दिए गए। 15 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। वहीं, वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने अवैध निर्माणों के सुपरवीजन में लापरवाही पर नगवा वार्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया। जबकि दो जोनल अधिकारी और दो जेई को नोटिस, हरहुआ में दो फील्ड स्टाफ को आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

वहीं सीलिंग की कार्रवाई के बाद वीडीए अफसरों के पास 'माननीय' समेत कई नेताओं के सिफारिशी फोन पहुंचे। चर्चा है कि अफसरों से चेतावनी के लहजे में बात की गई।

वीडीए बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में शिथिलता पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उसका असर दिखा। शुक्रवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में निकलीं दो टीमों ने कार्रवाई की। उपाध्यक्ष ने गंगा किनारे 200 मीटर दायरे में निर्माण पर कार्यवाही की। सामने घाट की मारुति नगर कॉलोनी में 5 बीघा में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त की गई और कॉलोनाइजर के खिलाफ लंका थाने में तहरीर दी गई। गायत्री नगर कॉलोनी में 10 बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। सामने घाट (मदरवां), गढ़वा घाट रोड पर अवैध निर्माण चिह्नित कर कार्यवाही का निर्देश दिया गया। जोनल अधिकारी और जेई को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है।

वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा ने फंटेसिया वॉटर पार्क में स्लाइड टॉवर और रिसॉर्ट के एक हिस्सा समेत सात अवैध निर्माण सील किए। हरहुआ-बाबतपुर मार्ग पर चार मंजिला नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं अस्पताल सील करा दिया।

इनके अलावा भोजूबीर-सिंधोरा मार्ग पर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दान्दुपुर में निर्माणाधीन मैरिज लॉन सील किया गया। लालपुर पेंढ़े, हरहुआ, काजीसराय में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील किए गए हैं।

जानकारी नहीं दे सके अफसर

वीडीए सचिव ने शिवपुर, सिकरौल वार्डों में अवैध निर्माण होते देखे। इस बारे में जानकारी न दे पाने पर जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश, जेई अम्बरीश शर्मा, अतुल मिश्रा एवं फील्ड स्टाफ को नोटिस जारी हुआ है।

फील्ड स्टाफ को आरोप पत्र

वीडीए सचिव ने हरहुआ में अवैध टाउनशिप के निर्माण पर जोनल अधिकारी, जेई से स्पष्टीकरण मांगा है जबकि सुपरवाइजर श्याम नारायण सिंह एवं रवीन्द्र गौड़ को आरोप पत्र जारी हुआ है।

अमर उजाला–दि0 06.07.2024

दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई, 23 अवैध निर्माण सील

एक के खिलाफ एफआईआर, वीडीए के दो कर्मचारी निलंबित, दो से स्पष्टीकरण, दो को आरोपपत्र और दो का वेतन रोका

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा पहली बार एक्शन में दिखे। दोनों अफसरों ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापे मारे और जांच करके कार्रवाई करते गए। दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। 23 अवैध निर्माण भी सील करा दिए। एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। यही नहीं, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने में वीडीए के आठ अफसरों और कर्मियों पर गाज गिरी है। सबके खिलाफ अलग-अलग तरह की कार्रवाई हुई है।

वीडीए उपाध्यक्ष और सचिव शुक्रवार को निरीक्षण पर निकले। नगवा वार्ड में अवैध प्लॉटिंग मिली, जिसे उपाध्यक्ष ने ध्वस्त कराया। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज करा दी। साथ ही लापरवाही में नगवा वार्ड के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता आरके सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया। कारण बताओ नोटिस भी थमाया है। क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद और वर्क सुपरवाइजर अतुल को निलंबित किया। इसी तरह 23 अवैध निर्माण भी सील कराए गए।

पहली बार एक्शन में दिखे वीडीए उपाध्यक्ष और सचिव

नगवां वार्ड का निरीक्षण करते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग। स्रोत: वीडीए

मामले में वीडीए सचिव ने जोनल अधिकारी गौरव प्रकाश और अवर अभियंता अंबरीश से स्पष्टीकरण मांगा है। संबंधित सुपरवाइजर श्याम नारायण सिंह और फील्ड स्टाफ रविंद्र गौड़ को आरोप पत्र जारी किया।

मारुतिनगर में पांच बीघे और गायत्रीनगर में दस बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त: वीडीए उपाध्यक्ष ने नगवां मारुति नगर, गायत्री नगर, सामने घाट (मदरवां), गढ़वा घाट रोड पर किए गए बड़े अवैध निर्माणों का निरीक्षण किया। मारुति नगर में उच्च न्यायालय और एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। यहां एचएफएल एरिया की लाइन से 200 मीटर दायरे में निर्माण पाया गया। मारुति नगर में पांच बीघे की अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया। इसे विकसित करने वाले गिरधारी पटेल एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मारुति नगर क्षेत्र में ही 15 अवैध निर्माणों को सील करा दिया। इसके अलावा गायत्री नगर कॉलोनी में लगभग 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई।

वीडीए सचिव ने वाटर स्लाइडर सहित सात अवैध निर्माण सील किए

- वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शिवपुर और सिकरौल वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने शिवपुर वार्ड के लोढ़ान स्थित फंटासिया वॉटर पार्क देखा और निर्माणाधीन वाटर स्लाइडर को सील कर कड़ी फटकार लगाई। चेतावनी दी कि मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण कराएं। इसी तरह छह और अवैध निर्माणों को सील कराया।
- भोजूबीर से सिंधोरा मार्ग पर जय प्रकाश जायसवाल व्यावसायिक निर्माण करा रहे थे। इसे सील कराया गया है। इसी तरह रिंग रोड फेस वन के दांदूपुर में व्यावसायिक लॉन और लालपुर पेंढ़े में व्यावसायिक निर्माण सील कराया गया। व्यावसायिक निर्माण वेद पांडेय करा रहे थे। हरहुआ से बाबतपुर जाने वाले मार्ग पर दिलीप सिंह, इंद्रदेव सिंह व्यावसायिक निर्माण करा रहे थे। काजीसराय में राजेश विश्वकर्मा की ओर से व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 06.07.2024

अवैध प्लाटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को नगवां वार्ड के कई कालोनियों में चल रहे नव निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कई बीघे प्लाटिंग पर ध्वस्तीरकरण की कार्रवाई की गई एवं एचएफएल एरिया में निर्माणाधीन भवनों को सील करते हुए स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इस मामले में क्षेत्र के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न करने एवं क्षेत्र में प्रवर्तन कार्यवाही में अत्यंत शिथिलता बरतने पर वेतन बाधित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी की गयी एवं क्षेत्र में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिक राजेंद्र प्रसाद, वर्क सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष ने नगवां वार्ड में की कार्रवाई

एचएफएल एरिया में निर्माणाधीन भवनों को किया सील

वीडीए अध्यक्ष/मण्डलायुक्त कौशल राज शर्मा के निर्देश के क्रम में उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने मारुती नगर कॉलोनी वार्ड-नगवां के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग एवं निर्माणों का स्थल निरीक्षण किया। मारुती नगर क्षेत्र में उच्च न्यायालय एवं एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) द्वारा प्रदत्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए उच्चतम बाढ़

बिंदु (एचएफएल) एरिया के लाइन से 200 मीटर के अंतर्गत अधिक संख्या में नव निर्माण एवं प्लाटिंग गतिमान पाये गए है। मौके पर मारुती नगर कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही लगभग पांच बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी एवं विकासकर्ता गिरधारी पटेल एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर के लिए थाने पर तहरीर दिया गया एवं उक्त के क्षेत्र के अतिरिक्त गायत्री नगर कॉलोनी में लगभग 10 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी। इसके अतिरिक्त मारुती नगर क्षेत्र में गतिमान 15 अवैध निर्माणों को मौके पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया। प्रभारी अधिकारी (भवन) द्वारा वार्ड-नगवां के अंतर्गत मारुति नगर, गायत्री नगर, सामने घाट (मदरवां), गढ़वा घाट रोड पर किये गए बड़े अवैध निर्माणों का उपाध्यक्ष को स्थल निरीक्षण कराया गया। उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राथमिकता पर प्रवर्तन की कार्यवाही करने के लिए जोमल अधिकारी को निर्देशित किया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 06.07.2024

अवैध निर्माण सील कर लगाई फटकार

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने लोढ़ान स्थित फंटासिया वाटर पार्क, जोन -1 वार्ड - शिवपुर का स्थल निरीक्षण किया, जिसमे निर्माणाधीन वाटर स्लाइडर को सील करते हुए कड़ी फटकार लगायी गयी तथा चेतावनी दी गयी कि मानचित्र स्वीकृत कराकर ही पुनः निर्माण कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। मुगलसराय वार्ड के अंतर्गत विवेक सिंह पुत्र बृज किशोर सिंह मौजा भींटी, थाना-रामनगर, वार्ड-मुगलसराय में बिना मानिचत्र स्वीकृत कराये हो रहे निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर शुक्रवार को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

आज—दि0 06.07.2024

वाटर पार्क और भवन सीज

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देश पर सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्रा शुक्रवार को फेटासिया वाटर पार्क वार्ड शिवपुर में औचक निरीक्षण किया। यहां पर निर्माणाधीन वाटर स्लाइडरको सील करते हुए निर्माणकर्ता को कड़ी फटकार लगायी और उसे सील करा दिया। इसके-अलावा उन्होंने मौके पर अभियंताओंको भी निर्माण कार्य के विषय में पूछताछ की। उन्होंने वाटर

पार्क निर्माता को निर्देश दिया कि बिना मानचित्र प्रकृति के निर्माण कार्य जारी रहने पर इनके विरुद्ध कड़ी कारखाई की जायेगी। मौके पर जोनल अधिकारी गौरव जयप्रकाश, सहायक अभियंता अमृत कुमार शर्मा, अभियंता अतुल मिश्रा मौजूद थे। इसी क्रम में इसी क्रम में मुगलसराय स्थित आराजी संख्या २०६ मौजा भीटी में बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन स्वामी निर्माण कार्य करा रहा था। निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए १३ जून २०२४ को नोटिस भेजी गयी थी और उसमें भवन स्वामी को चेतावनी दिया गया था कि बिना मानचित्र के निर्माण कार्य न करने के लिए चेतावनी दी गयी थी,लेकिन भवन स्वामी ने विभाग की नोटिस को अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा। जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश अवर अभियंता पी.एन दूबे, क्षेत्रीय थाने की पुलिस की मौजूदगी में भवन को सीज कर दिया गया। सीज करने के बाद अवर अभियंता ने निकटतम थाने की अभिरक्षामें भवन को सौंप दिया।

आज—दि0 06.07.2024

विप्रा उपाध्यक्ष ने अभियंताओं की कार्यशैली पर लगायी लताड़

कड़ी कारखाई के लिए हो सकती है शासन से संस्तुति

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुक्रवार को डाक्टर अशोक राय अनाधिकृत रूप से नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टिच्यूट और हास्पिटल का निर्माण करा रहे थे। इसी प्रकार भोजूबीर सिंधौरा मार्ग पर बिना विप्रा से अनुमति के दूसरे तल का निर्माण कराया जा रहा था। यह कार्य व्यवसायिक रूप में किया जा रहा था। इसी रोड पर दानूपुर में निर्माणाधीन एक व्यवसायिक लान को विप्रा के अभियंताओं ने कारखाई की। इसी प्रकार लालपुर ऐढ़े में वेदप्रकाश पांडेय अनाधिकृत रूप से व्यवसायिक निर्माण करा रहे थे। हरहुआ से बाबतपुर और काजीसराय में व्यवसायिक भवनों का तेजी से निर्माण किया जा रहा था। इन सभी निर्माणों को सील कर दिया गया। इस संबंध में विप्रा उपाध्यक्ष ने अपने अधीनस्थों से नाराजगी प्रकट करते हुए उनके विरुद्ध कारखाई का मन बना लिया है। उन्होंने एक बैठक में साफ-साफ कहा कि अवर अभियंता, जोनल अधिकारी एवं सामान्य अभियंता अपने वार्डों में हो रहे निर्माण कार्य से अनभिज्ञ हैं या तो उनकी देखरेख में निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। आज की कार्यवाही पर विप्रा उपाध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस प्रकार अवैध निर्माण को लेकर संबंधित जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता के विरुद्ध कारखाई का मन बना लिया है। जानकारी के अनुसार इस प्रकार के अभियंताओं के ऊपर बड़ी कारखाई के लिए वी.सी. बड़ी कारखाई कर सकते हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज—दि0 06.07.2024

मारुति और गायत्री नगर में अवैध निर्माण देखकर विप्रा उपाध्यक्ष हुए आश्चर्य चकित

विभागीय अधिकारियोंके विरुद्ध कड़ी कारवाई करने का दिया निर्देश

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के मौजूदगी में २० बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कारवाई की गयी। काश्तकार गिरधारी पटेल एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकता दर्ज कराया गया। मारूति नगर में माननीय उच्च न्यायालय एवं एएनजीटी (नेशनल ग्रीन

ट्रिब्यूनल) के आदेशोंका उल्लंघन करते हुए गंगा के २०० मीटर के दायरे में हुए अवैध प्लाटिंग पर जबरर्दश्त कारवाई की गयी। शिकायत के आधार पर विप्रा उपाध्यक्ष और उनकी टीम मौके पर पहुंची। जिसमें, मारूति नगर में पांच बीघा जमीन और गायत्री नगर में १० बीघा जमीन पर अवैध प्लार्टिंग की जा रही थी। इस सम्बन्ध में काश्तकारों ने विप्रा से प्लाटिंग कराने की अनुमति नहीं प्राप्त की थी। मारुति नगर में १५ अवैध निर्माण किये जा रहे थे, जबकि गायत्री नगर, सामने घाट, गड़वा घाट रोड पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। विप्रा उपाध्यक्ष ने मौके पर मौजूद प्रभारी अधिकारी भवन की क्लास लगायी और अवैध निर्माण करने वालों पर प्राथमिकता के आधार पर कारवाई करने का निर्देश दिया। इस प्रकार विप्रा उपाध्यक्ष ने मारुति नगर और सामने घाट के अवैध निर्माणों की स्थिति देखकर जोनल अधिकारी, अवर अभियंता एवं फिल्ड में काम करने वाले सुपरवाइजरोंको लताड़ लगायी और साथ-साथ उन्होंने चेतावनी दिया कि आप अपने पद का दुरुपयोग किये हैं। इसी प्रकार प्रवर्तन विभाग के कारवाई में शिथिलता बरतने पर अधिकारियों को जमकर क्लास लगायी और विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई का निर्देश दिया।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 06.07.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-मुगलसराय अन्तर्गत विवेक सिंह पुत्र बृज किशोर सिंह, आ0सं0-206, मौजा भींटी, थाना-रामनगर, वार्ड-मुगलसराय में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध एम0 17/24/नो0 दिनांक 13. 06.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 05.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है। जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियन्ता पी0एन0दूबे, मौजूद रहे।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 06.07.2024

हाईकोर्ट के उल्लंघन पर वीडीए का ऐक्शन

निर्माणकर्ता के खिलाफ कराई एफआईआर,नपे जिम्मेदार, मिला नोटिस, रुका वेतन

जनसंदेश न्यूज

वाराणसी। उच्चतम बाढ़ बिंदु ,एचएफएल ,एरिया के लाइन 200 मीटर के दायरे का उल्लंघन पर वीडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकीत गर्ग नगवा वार्ड के मारुति नगर जहां मारुती नगर में हो रहे अवैध प्लाटिंग और निर्माण का औचक निरीक्षण किया। कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही लगभग पांच बीघे अवैध प्लाटिंग देखा। जिसके बारे में विकासकर्ता गिरधारी पटेल को जहां फटकार लगाई ,वही उनके विरुद्ध एफआईआर हेतु थाने पर तहरीर दिया । इस दौरान गायत्री नगर कॉलोनी में लगभग 10 बीघा पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग को। बुलडोजर ने ढहा दिया । इसी क्रम में मारुती नगर क्षेत्र में सतिमान 15 अवैध निर्माणों को मौके पर सील की सख्त कारवाई की गयी और उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इस दौरान प्रभारी अधिकारी (भवन) ने वार्ड-नगवा के मारुति नगर, गायत्री नगर, सामने घाट (मदरवां), गड्ढा घाट रोड पर किये गए बड़े अवैध निर्माणों का उपाध्यक्ष को औचक निरीक्षण कराया । उन्होंने अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राथमिकता पर प्रवर्तन दल की कारवाई करने को कहा। वीडीए उपाध्यक्ष ने क्षेत्र के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता के अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न करने पर उनकी क्लास लगाई और इस मामले में प्रवर्तन कार्यवाही में अत्यंत शिथिलता बरते जाने पर उनका वेतन रोके जाने का निर्देश दिया । इसको लेकर उन्होंने लापरवाही बरते जाने और नाकामी पर विभाग के उक्त जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर

कारवाई

15 बीघे की प्लाटिंग पर चला बुलडोजर
15 अवैध निर्माण सील किये गये

एचएफएल एरिया के 200मीटर के दायरे के उल्लंघन पर कड़ी कारवाई

जवाब मांगी। उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए क्षेत्र में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिक ... को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 06.07.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग को कराया ध्वस्त

जोनल और अवर अभियंता का वेतन रोका, दो को किया निलंबित

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। बीते गुरुवार को वीडीए बोर्ड की हुई बैठक में आयुक्त एवं वीडीए अध्यक्ष कौशल राज शर्मा ने अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि अब मुझे स्वयं निकलना पड़ेगा अवैध निर्माण रोकने के लिए, आयुक्त की सख्ती के पश्चात शुक्रवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग अवैध निर्माण की हकीकत जानने खुद फिल्ड में उतर गए।

उन्होंने मारुती नगर कॉलोनी वार्ड-नगवां के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग एवं निर्माणों का स्थल निरीक्षण किया गया मारुती नगर क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय एवं एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) द्वारा प्रदत्त आदेशों का उल्लंघन करते हुये उच्चतम बाढ़ बिन्दु (एचएफएल) एरिया के लाइन से 200 मीटर के अंतर्गत अधिक संख्या में नव निर्माण एवं प्लाटिंग गतिमान पाये गए। उपाध्यक्ष ने मारुती नगर कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही लगभग 05 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी एवं विकासकर्ता गिरधारी पटेल एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर हेतु थाने पर तहरीर दिया गया। उक्त के क्षेत्र के अतिरिक्त गायत्री नगर कॉलोनी में लगभग 10 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी।उक्त के अतिरिक्त मारुती नगर क्षेत्र में गतिमान 15 अवैध निर्माणों को मौके पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। प्रभारी अधिकारी (भवन) द्वारा वार्ड-नगवां के अंतर्गत मारुति नगर, गायत्री नगर, सामने घाट (मदरवां), गढ़वा घाट रोड पर किये गए बड़े अवैध निर्माणों का उपाध्यक्ष को स्थल निरीक्षण कराया गया। उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राथमिकता पर प्रवर्तन की कार्यवाही करने हेतु जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। क्षेत्र के जोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न करने एवं क्षेत्र में प्रवर्तन कार्यवाही में अत्यंत शिथिलता बरतने पर वेतन बाधित करते हुये कारण बताओं नोटिस जारी की गयी एवं क्षेत्र में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिक राजेंद्र प्रसाद, वर्क सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

तरुणमित्र न्यूज़–दि0 06.07.2024

वीडीए वीसी ने मौके पर पहुंच अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करा, मुकदमा करवाया दर्ज

ज़ोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता को दिया नोटिस, एक को किया निलंबित

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। आयुक्त कौशल राज शर्मा के निर्देश के क्रम में वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने शुक्रवार को मारुती नगर कॉलोनी वार्ड-नगवां के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग एवं निर्माणों का स्थल निरीक्षण किया।मारुती नगर क्षेत्र में उच्च न्यायालय एवं एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) द्वारा प्रदत्त आदेशों का उल्लंघन करते हुये उच्चतम बाढ़ बिन्दु (एचएफ़एल) एरिया के लाइन से 200 मीटर के अंतर्गत अधिक संख्या में नव निर्माण एवं प्लाटिंग गतिमान पाये गए है। मौके पर मारुती नगर कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही लगभग 05 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की

निरीक्षण के दौरान वीडीए वीसी पुलकित गर्ग अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर सील करवाते हुए

गयी एवं विकासकर्ता गिरधारी पटेल एवं अन्य के विरुद्ध एफ़आईआर हेतु थाने पर तहरीर दिया गया।

उक्त के क्षेत्र के अतिरिक्त गायत्री नगर कॉलोनी में लगभग 10 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी।मारुती नगर क्षेत्र में गतिमान 15 अवैध निर्माणों को मौके पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।अधिकारी (भवन) द्वारा वार्ड-नगवां के अंतर्गत मारुति नगर, गायत्री नगर, सामने घाट (मदरवां), गढ़वा घाट रोड पर किये गए बड़े अवैध निर्माणों का उपाध्यक्ष वीडीए को स्थल निरीक्षण कराया गया।उनके द्वारा उपरोक्त अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्राथमिकता पर प्रवर्तन की कार्यवाही करने हेतु ज़ोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।क्षेत्र के ज़ोनल अधिकारी एवं अवर अभियंता द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न करने एवं क्षेत्र में प्रवर्तन कार्यवाही में अत्यंत शिथिलता बरतने पर वेतन बाधित करते हुये कारण बताओं नोटिस जारी की गयी एवं क्षेत्र में तैनात चतुर्थ श्रेणी कार्मिक राजेंद्र प्रसाद, वर्क सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 06.07.2024

वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश ने निर्माणाधीन वाटर स्लाइडर को कराया सील, लगाई फटकार

निरीक्षण के दौरान अवैध निर्माण को खुद खड़े होकर सील करवाते वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा ने शुक्रवार को लोढ़ान स्थित फंटासिया वाटर पार्क, जोन -1 वार्ड - शिवपुर का स्थल निरीक्षण किया जिसमे निर्माणाधीन वाटर स्लाइडर को सील करते हुए कड़ी फटकार लगायी गयी तथा चेतावनी दी गयी कि मानचित्र स्वीकृत कराकर ही पुन: निर्माण कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने शहर के सभी नागरिकों से अपील भी कि आप सभी अपने भवनों, आवासों और व्यवसायिक दुकानों का नक्शा वीडीए से पास कराकर ही निर्माण कराएं। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, सहायक अभियंता अम्बरीश कुमार शर्मा, अभियंता अतुल मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे।

न्यायाधीश दि0 06.07.2024

अवैध निर्माण किया गया सील

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-मुगलसराय अन्तर्गत विवेक सिंह पुत्र बृज किशोर सिंह, आ0सं0-206, मौजा भींटी, थाना-रामनगर, वार्ड-मुगलसराय में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध एम0 17/24/ नो0 दिनांक 13. 06.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी। पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर 05.जुलाई को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश, अवर अभियन्ता पी0एन0दूबे, मौजूद रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश दि0 06.07.2024

मारुती नगर कॉलोनी वार्ड-नगवां के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग एवं निर्माणों का स्थल निरीक्षण किया गया

वाराणसी। मारुती नगर क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेशों का उल्लघन करते हुये एचएफएल एरिया के अंतर्गत अधिक संख्या में अवैध नव निर्माण एवं प्लाटिंग गतिमान पाये गए है। मौके पर मारुती नगर कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही डलगभग 05 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी एवं विकासकर्ता श्री गिरधारी पटेल एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर करायी गयी एवं उक्त के क्षेत्र के अतिरिक्त गायत्री नगर कॉलोनी में लगभग 10 बीघा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वरितकरण की कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त मारुती नगर क्षेत्र में गतिमान 15 अवैध निर्माणों को मौके पर सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया। प्रभारी अधिकारी (भवन) द्वारा वार्ड-नगवां के अंतर्गत मारुति नगर, गायत्री नगर, सामने घाट (मदरवां), गढ़वा घाट रोड पर किये गए बड़े अवैध निर्माणो का उपाध्यक्ष को स्थल निरीक्षण कराया गया। उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त अवैध निर्माणो के विरुद्ध प्राथमिकता पर प्रवर्तन की कार्यवाही करने हेतु ज़ोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। क्षेत्र के ज़ोनल अधिकारी, अवर अभियंता एवं फील्ड कार्मिक द्वारा अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन न करने एवं क्षेत्र मे प्रवर्तन कार्यवाही में अत्यंत शिथिलता बरतने पर रोष व्यक्त करते हुये इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

मानचित्र स्वीकृत कराकर ही पुन: निर्माण कराया जाये : सचिव वाविप्रा

वाराणसी। सचिव वाविप्रा डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा 05 जुलाई को लोढ़ान स्थित फंटासिया वाटर पार्क, जोन -1 वार्ड - शिवपुर का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमे निर्माणाधीन वाटर स्लाइडर को सील करते हुए कड़ी फटकार लगायी गयी तथा चेतावनी दी गयी कि मानचित्र स्वीकृत कराकर ही पुनः निर्माण कराया जाये अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्यवाही की जाएगा। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, सहायक अभियंता अम्बरीश कुमार शर्मा, अभियंता अतुल मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे।